FIRST INFORMATION REPORT
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1.District(जिला)..चूरू.P.S(थाना)..**सीपीएसजयपुर**Year(वर्ष).2022..FIRNo.(प्रसूरिसं)........360/22 Dateदिनांक).. 13/9/22

2. (i) Act (अधिनियम)..भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन2018)अधिनियम Sections(धाराऐं). .... 7..............

(ii) Act (अधिनियम)............ .... Sections (धाराऐं).................. ....

(iii) Act (अधिनियम)............................Sections (धाराऐं)..

(iv) Other Acts & Sections (अन्य अधिनियम एवं धाराऐं) ....

3.(a)(क) Occurrence of offence(घटना का)Day(दिन)..Date from(दिनांक से) Yr 2022 Date 12.9.2022 to (दिनांक तक) Time Period (पहर)....12.53PM....Time From(बजे से) .....Time to(बजे तक (b)(ख)Information received at P.S.(थाने पर प्राप्त सूचना) .....Date (दिनांक) .... Time(समय). (c)(ग)General Diary Reference (रोजनामचासन्दर्भ)..Entry No(प्रविष्टि संख्या) 233........ Time(समय).. 3.15 P.M.

4. Type of Information (सूचना कैसे प्राप्त हुयी) . Written/Oral (लिखित/मौखिक) .....लिखित......

5. Place of Occurrence(घटना स्थल का ब्योरा)

(a)(क) Direction and distance from PS(थाने से दिशा एवं दूरी) 50 KM उतर–पश्चिम .Beat No (बीट संख्या)

(b)(ख) Address (पता) कार्यालय सहायक अभियन्ता जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड ग्रामीण सरदारशहर जिला चूरू।

(c)(x) In case outside the limit of this Police Station then (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो तक उस)

Name of PS (थाने का नाम) .... District (जिला) ....

6. Complainant/Informant (शिकायतकर्ता/इत्तला देने वाला)

(a)(क) Name (नाम) .....श्री राजेन्द्र देडू..

(b)(ख) Father`s/Husband`s Name (पिता/पति का नाम) ... श्री दयाराम जाट.......

(c)(ग) Day/Year of Birth (जन्म तिथि/वर्ष)...33 YR...(d)(घ) Nationality(राष्ट्रीयता) ..भारतीय..

(e)(ड़) Passport No (पासपोर्ट संख्या) ....

date of Issue (जारी करने की तिथि) .... Place of Issue (जारी करने का स्थान) ....

(f)(च) Occupation (व्यवसाय).. व्यापार ... ..

(g)(छ) Address (पता) उदासर तह0 सरदारशहर जिला चूरू।

7. Details of know/Suspected/Unknown Accused with full particulars(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण) Attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ट नथी करें)

1. श्री मनोज कुमार पुत्र राम अवतार मीणा उम्र 33 वर्ष निवासी ठिमोली पुलिस थाना रामगढ सेठान जिला सीकर हाल कनिष्ठ अभियन्ता अति0 चार्ज सहायक अभियन्ता जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड ग्रामीण सरदारशहर जिला चूरू।
2. अन्य।

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण).....शून्य.....

9. Particulars of properties stolen (चोरी हुई सम्पति का विवरण) attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ट नत्थी करें) ....

10. Total value of property stolen (चोरी हुई सम्पति का कुल मुल्य) ..Trap Rs 20,000 .....

11. Inquest Report (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) U.D case No.(अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं.) if any (यदि कोई हो तो) ....

12. F.I.R. Contents (प्र.सू.रि. की विषय वस्तु) attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ट नत्थी करें)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो
चूरू

विषयः– बिजली विभाग सरदारशहर के अधिशाषी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता द्वारा रिश्वत मांगने के सम्बधं में।

महोदय,

निवेदन है कि मै राजेन्द्र देहडू पुत्र श्री दयाराम देहडू गांव उदासर तह0 सरदारशहर का निवासी हूँ। मैने गाव के बस स्टैण्ड पर चौधरी इन्टरप्राईजेज नाम से दुकान कर रखी हैं। इस दुकान में बिजली के दो कनेक्शन हैं जिसमें एक घरेलु व एक अघरेलु हैं। दिनांक 24.08.2022 को दोपहर में बिजली विभाग सरदारशहर के श्री आर. के. मीणा अधिशाषी अभियन्ता व मनोज कुमार सहायक अभियन्ता मेरे पास गांव में दुकान पर आये व चैकिग कर मुझे कहा कि आपका बिजली का लोड ज्यादा है सीट भरेंगें। मैने कहा कि लोड ज्यादा नही है मीटर के हिसाब से बिल जमा करवा रहे हैं। श्री आर. के. मीणा अधिशाषी अभियन्ता ने मेरे से एक लाख रूपये उसी समय ले लिये व सहायक अभियन्ता श्री मनोज कुमार ने दुकान मे दुसरी तरफ जाकर मेरे से एक लाख रूपये ले लिए व दोनो ने कहा कि सीट नही भरेंगें सरदारशहर आकर मिल लेना 50 हजार रूपये खर्चा ओर देना होगा। हम आईन्दा तेरा ध्यान रखेगें और इस चैकिग की छोटी रसीद काट देगें।

मै श्री आर. के. मीणा अधिशाषी अभियन्ता व श्री मनोज कुमार सहायक अभियन्ता को 50,000रूपये रिश्वत नही देना चाहता। उन दोनो भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। आप आवश्यक कार्यवाही करे।

दिनांक 26.08.2022

प्रार्थी
(एसडी)
राजेन्द्र देहडू पुत्र श्री दयाराम जाट
निवासी उदासर त ह0 सरदारशहर (चूरू)
मो0न0 9461328514

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 26.08.2022 को सुबह परिवादी राजेन्द्र देडू ने जरिये दूरभाष मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि सरदारशहर बिजली विभाग के अधिशाषी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता द्वारा मेरे से सीट भरने की कह कर रिश्वत की मांग की जा रही हैं। इस पर मेरे निर्देशानुसार श्री गिरधारी सिंह एएसआई व ओम प्रकाश कानि गोपनीय कार्य से सरदारशहर गये थे जो हाजिर चौकी हैं। श्री गिरधारी सिंह एएसआई ने परिवादी श्री राजेन्द्र देडू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 26.08.2022 पेश कर बताया कि आज निर्देशानुसार मै व ओम प्रकाश कानि टेप रिकॉर्डर सहित चूरू से रवाना होकर सरदारशहर पंहुच परिवादी श्री राजेन्द्र देडू से सम्पर्क किया। परिवादी राजेन्द्र देडू ने श्री आर. के. मीणा अधि0 अभि0 व मनोज कुमार स0 अभि0 जोधपुर डिस्कॉम सरदारशहर के द्वारा गांव में उसकी दुकान पर दिनांक 24.08.2022 को चैकिग कर वीसीआर भरने की धमकी देकर मुझ से दो लाख रूपये रिश्वत के ले लिए व पचास हजार रूपये और मांग रहे हैं। उपरोक्त आश्य की रिपोर्ट परिवादी ने पेश की जिस पर परिवादी ने अपने हस्ताक्षर होना बताया। मै परिवादी की रिपोर्ट लेकर कानि ओम प्रकाश को सत्यापन वार्ता के सम्बधं में कहकर निर्देशानुसार वापिस चौकी चूरू आ गया। कानि ओम प्रकाश ने

सत्यापन वार्ता की टेप रिकॉर्डर प्रस्तुत कर बताया कि परिवादी श्री राजेन्द्र देडू की आज दिन में दो बार मनोज कुमार सहायक अभियन्ता से वार्ता हुई जिसमें परिवादी के बताऐ अनुसार मनोज कुमार द्वारा दिनांक 24.08.2022 को चैकिग के दौरान दो लाख रूपये लेने व पचास हजार रूपये की और मांग कर चालीस हजार रूपये लेने के लिए सहमत होकर बीस हजार रूपये प्राप्त कर लेने तथा बीस हजार आईन्दा देने की वार्ता हुई है जिसको परिवादी ने टेप में रिकॉर्ड किया हैं। परिवादी राजेन्द्र को उसके गांव में छोडकर वार्ता का टेप लेकर मै चौकी आ गया। श्री गिरधारी सिंह एएसआई द्वारा प्रस्तुत परिवादी राजेन्द्र देडू की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा रिश्वत की मांग करना पाया जाता है तथा परिवादी की आरोपी मनोज कुमार से रिश्वत मांग बाबत वार्ता भी की गई हैं। आईन्दा परिवादी को तलब कर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। परिवादी की रिपोर्ट एवं वार्ता का टेप सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 28.8.2022 को 5.30 पीएम पर मै उप अधीक्षक पुलिस मय श्री ओम प्रकाश कानि के जरिये सरकारी वाहन के परिवादी राजेन्द्र की रिपोर्ट एवं वार्ता का टेप लेकर उससे हुई टेलीफोन वार्ता के सन्दर्भ में परिवादी से सम्पर्क करने रवाना होकर सरदारशहर में रतनगढ रोड पर पंहुचा। पाबंद शुदा परिवादी राजेन्द्र देहडू हाजिर मिला। परिवादी श्री राजेन्द्र से परिचय कर पुछने पर उसने उक्त रिपोर्ट स्वयं द्वारा कम्प्यूटर से लिखवाना व उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। मजीद पूछताछ पर परिवादी ने श्री गिरधारी सिंह सउनि व कानि ओम प्रकाश के द्वारा दिनांक 26.08.22 को बताये गये तथ्यों की ताईद की। परिवादी ने बताया कि कल दिनांक 29.08.22 को श्री आर.के. मीणा एक्सईएन व मनोज कुमार एईएन से पुनः मिलकर खुलासा बात कर सकता हूँ। इस पर परिवादी को कल ओम प्रकाश के आने पर अधिशाषी अभियन्ता से मांग सत्यापन के सम्बधं में विस्तृत वार्ता करने के निर्देश देकर परिवादी को सरदारशहर छोडकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही कानि व वाहन के रवाना होकर चूरू पंहुचा। परिवादी की रिपोर्ट एवं वार्ता का टेप सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 29.08.2022 को वक्त 9.00 एएम पर कानि ओम प्रकाश को पूर्व में हुई वार्ता का टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी श्री राजेन्द्र देडू से सम्पर्क कर रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता के लिये सरदारशहर के लिए रवाना किया गया।

वक्त 7.00 पीएम पर कानि ओम प्रकाश हाजिर कार्यालय आया व मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मै सुबह रवाना होकर सरदारशहर पंहुच परिवादी राजेन्द्र से सम्पर्क कर टेप रिकॉर्ड चालु व बंद करने की विधि समझाकर सुपुर्द कर बिजली विभाग के अधि. अभि. कार्यालय रवाना किया गया, मै वहीं मेगा हाई–वे पर एक चाय की बनी दुकान पर बैठ गया। परिवादी राजेन्द्र देडू वापिस मेरे पास आया जिस पर मैने टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया और परिवादी ने बताया कि मै श्री आर.के. मीणा के पास उनके कार्यालय में गया तो उनके पास भीड थी इसलिए मैने बाहर से मोबाईल फोन कर उनको बाहर बुलाकर वार्ता की और एक्सईएन साहब को बताया कि आप जिस दिन मेरी दुकान पर गये थे उस दिन एईएन साहब व आपको दो लाख रूपये मैने दे दिये तथा अब एईएन साहब 1.28 लाख की वीसीआर भी भर देना बता रहे है। इससे मेरे तो कुल 3.28 लाख रूपये खर्च हो गये हैं। तब एक्सईएन श्री मीणा जी ने कहा कि मै इस सम्बध में एईएन श्री मनोज कुमार से बात करूगा उसके बाद आपको बता दुंगा। आईन्दा मेरे से मिलना, मै दो–तीन दिन बाद पुनः एक्सईएन मीणा जी से मिलुगां। परिवादी को सरदारशहर छोडकर हाजिर आया हूँ। कानि ने सत्यापन वार्ता का टेप रिकॉर्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया जो सुरक्षित रखा गया, आईन्दा परिवादी द्वारा पुनः सम्पर्क करने पर विस्तृत वार्ता के लिए ओम प्रकाश को भेजा जावेगा।

दिनांक 02.09.22 को वक्त 9.30 एएम पर कानि ओम प्रकाश को परिवादी की सूचना प्राप्त होने पर पूर्व में हुई वार्ता का टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी श्री राजेन्द्र देडू से सम्पर्क कर अधि0 अभि0 से रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता के लिये सरदारशहर के लिए रवाना किया गया।

वक्त 4.00 पीएम पर कानि ओम प्रकाश हाजिर कार्यालय आया व मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मै सुबह रवाना होकर सरदारशहर पंहुच परिवादी राजेन्द्र से सम्पर्क कर टेप रिकॉर्ड उसे सुपुर्द कर बिजली विभाग के अधि. अभि. कार्यालय रवाना किया गया, मै वहीं एक चाय की बनी दुकान पर बैठ गया। परिवादी राजेन्द्र देडू वापिस मेरे पास आया जिस पर मैने टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया और परिवादी ने बताया कि मै श्री आर.के. मीणा के पास उनके कार्यालय में गया और वार्ता में मैने कहा कि साहब दो लाख तो आपको दे दिये, 1.28

लाख की सीट भर दी इस तरह मेरे तो 3.28 लाख लग जायेगें। इससे तो अच्छा होता कि मै आपको नही देकर सीट की राशि भरवा देता। इस पर मीणा जी ने कहा कि दो ले लिए, आप झूठ तो नही बोल रहे हो? मै अभी एईएन को पुछता हूँ ऐसे थोडी होता हैं। तब मैने कहा कि एक लाख तो आपको उस समय ही दे दिये थे, आपने कहा कि ठीक है। इतने में ही मेरे चचेरे भाई के एक्सीडेन्ट होने की सूचना का मेरे पास फोन आने पर मै एक्सईएन साहब को आईन्दा बात करने की कहकर बाहर आ गया। परिवादी राजेन्द्र ने बताया कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे वहां जाना जरूरी है। दो–तीन दिन बाद एक्सईएन साहब से दिये हुऐ दो लाख रूपयों के सम्बधं में खुलासा बात करूगां, मै परिवादी को सरदारशहर छोडकर हाजिर आया हूँ। कानि ने सत्यापन वार्ता का टेप रिकॉर्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया जो सुरक्षित रखा गया, आईन्दा परिवादी द्वारा पुनः सम्पर्क करने पर विस्तृत वार्ता के लिए ओम प्रकाश को भेजा जावेगा।

दिनांक 07.09.2022 को 8.00 एएम पर परिवादी की सूचना प्राप्त होने पर कानि ओम प्रकाश को पूर्व में हुई वार्ता का टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी श्री राजेन्द्र देडू से सम्पर्क कर अधि0 अभि0 से रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता के लिये सरदारशहर के लिए रवाना किया गया।

वक्त 2.00 पीएम पर कानि ओम प्रकाश हाजिर कार्यालय आया व बताया कि मै सुबह रवाना होकर सरदारशहर पंहुच परिवादी राजेन्द्र से सम्पर्क कर टेप रिकॉर्ड उसे सुपुर्द कर बिजली विभाग के अधि. अभि. कार्यालय रवाना किया गया, मै वहीं एक दुकान पर बैठ गया। परिवादी राजेन्द्र देडू वापिस मेरे पास आया जिस पर मैने टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया और परिवादी ने बताया कि श्री मीणा अधि0 अभि0 अपने कार्यालय में नही मिले। पूछताछ पर उनका किसी गांव में जाना बताया इस पर मैने उनके मोबाईल नम्बर 9414021480 पर मेरे मोबाईल से वार्ता की तो उन्होने कहा कि एईएन साहब को आप एक लाख रूपये देने की बात कर रहे हो वो मेरे को लेने के लिए मना कर रहा है। इस पर मैने कहा कि सर एईएन साहब ने एक लाख रूपये आपसे अलग लिये थे और उन्होने मुझे कहा था कि एक्सईएन साहब को इन एक लाख रूपयों के बारे में मत बताना। तब उन्होन कहा कि एईएन बाहर है वो एक दो–दिन में आयेगें तब बात करते है। तब मैने उनको कहा कि फिर मेरे को वीसीआर वाले 1.28 लाख जमा करवाने है या नही तो एक्सईएन साहब ने कहा कि आप टेंशन फ्री रहो, अभी जमा मत करवाओ। मै एईएन से वार्ता कर पता करूंगा फिर तुझे बता दुगा। एक–दो दिन बाद एईएन साहब के आने के बाद एक्सईएन साहब से खुलासा बात करूगां। निर्देशानुसार परिवादी को कल चूरू चौकी पर उपस्थित आने की हिदायत कर उसे सरदारशहर छोडकर हाजिर आया हूँ। कानि ने सत्यापन वार्ता का टेप रिकॉर्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया जो सुरक्षित रखा गया, आईन्दा परिवादी के उपस्थित आने पर रिकॉर्ड वार्ता को सुनकर फर्द ट्रास्क्रिप्ट तैयार की जावेगी।

दिनांक 08.09.2022 को वक्त 3.00 पीएम पर परिवादी श्री राजेन्द्र देडू हाजिर चौकी आया तथा कानि ओम प्रकाश के द्वारा बताये गये तथ्यों को दोहराया। रिश्वती मांग सत्यापन की रिकॉर्ड वार्ता दिनांक 26.08.2022 को एईएन से दो बार हुई वार्ता, दिनांक 29.08.22, 02.09.22 व 7.09.2022 को एक्सईएन से हुई वार्ता की टेप को परिवादी राजेन्द्र देडू व कानि ओम प्रकाश के समक्ष जरिये कम्प्यूटर सुन–सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई तथा रिकॉर्ड वार्ता की दो डीवीडी तैयार कर एक डीवीडी को कपडे की थैली में सील्ड किया जाकर सम्बधित के हस्ताक्षर कर मार्क 'A' अंकित किया गया तथा एक डीवीडी खुली रखी गई। दोनो डीवीडियों को जमा मालखाना करवाया गया।

दिनांक 09.9.2022 को वक्त 12.30 एएम पर अब तक की परिवादी व अधि0 अभियन्ता की वार्ताओ से परिवादी द्वारा सहायक अभियन्ता व अधि0 अभियन्ता को दिये गये दो लाख रूपये के सम्बधं में अधि0 अभियन्ता का यह कहना कि एक लाख रूपये लेने के बारे में मै एईएन श्री मनोज कुमार से बात करूगां, के तथ्य रिकॉर्ड हुऐ है तथा परिवादी के द्वारा अधि0 अभि0 स्वयं को एक लाख रूपये देने की कहने के तथ्यों के सम्बधं में अधि0 अभियन्ता द्वारा स्वीकारोक्ती बाबत पुनः एक बार वार्ता करवाई जानी है जिस पर परिवादी ने बताया कि कल एक्सईएन साहब मेरे को कार्यालय में मिल सकते है जिससे जाकर मै वार्ता कर सकता हूँ। इस पर परिवादी श्री राजेन्द्र देडू को कल सुबह हाजिर चौकी आने की हिदायत कर रूखस्त दी गई।

वक्त 9.00 एएम पर परिवादी श्री राजेन्द्र देडू हाजिर चौकी आया व बताया कि एक्सईएन साहब श्री मीणा से आज उसके कार्यालय में जाकर मेरे से पूर्व में दो लाख में से एक लाख स्वयं द्वारा रखने के सम्बधं में वार्ता कर सकता हूँ। इस पर कानि ओम प्रकाश को कार्यालय का टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी श्री राजेन्द्र देडू के साथ एक्सईएन से वार्ता के लिये सरदारशहर के लिए रवाना किया गया।

वक्त 1.30 पीएम पर परिवादी राजेन्द देडू व कानि ओम प्रकाश हाजिर कार्यालय आये व वार्ता का टेप रिकॉर्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर परिवादी ने बताया कि सरदारशहर पंहुच मैने एक्सईएन श्री मीणा से उसके कार्यालय में पंहुच कर वार्ता की कि मैने एक लाख रूपये आपको व एक लाख रूपये एईएन को कुल दो लाख रूपये पूर्व में दिये जाने के बारे में बताया तब एक्सईएन साहब ने कहा कि जो एक लाख रूपये एईएन मनोज कुमार को आपने दिये है उनके बारे में मनोज ने मेरे को नही बताया। तब मैने कहा कि एईएन साहब ने कहा था कि जो मेरे को एक लाख रूपये दिये है उसके बारे में एक्सईएन साहब को मत बताना इसलिए मैने भी आपको एईएन को दिये गये एक लाख रूपयों के बारे में नही बताया। मैने 1.28 लाख रूपये की सीट के रूपये जमा करवाने के बारे में बात की तो उन्होने कहा कि यह राशि तो आपको जमा करवानी ही पडेगी। एक्सईएन से हुई वार्ता की टेप को परिवादी राजेन्द्र देडू व कानि ओम प्रकाश के समक्ष जरिये कम्प्यूटर सुन–सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई तथा रिकॉर्ड वार्ता की दो डीवीडी तैयार कर एक डीवीडी को कपडे की थैली में सील्ड किया जाकर सम्बधित के हस्ताक्षर कर मार्क 'B' अंकित किया गया तथा एक डीवीडी खुली रखी गई। दोनो डीवीडीयों को जमा मालखाना करवाया गया।

परिवादी राजेन्द्र ने बताया कि दिनांक 10 व 11.09.2022 की छुटटी है, मनोज कुमार एईएन मुझसे जैसे ही अपने 20 हजार रूपये खर्चे लेने की बात करेगा तो मै आपसे तुरन्त सम्पर्क कर लुगा। इस पर परिवादी श्री राजेन्द्र देडू को 20 हजार रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था रखने तथा आरोपी द्वारा रिश्वत की राशि लेकर बुलाने पर हाजिर चौकी आने की हिदायत कर रूखस्त दी गई। दिनांक 11.09.2022 को श्री ओम प्रकाश कानि ने मन् उप अधीक्षक को बताया कि परिवादी राजेन्द्र से अभी फोन से बात हुई हैं जिसने कहा कि एईएन मनोज कुमार ने कल मुझे बीस हजार रूपये लेकर 10–11 बजे तक अपने कार्यालय में बुलाया है। इस पर परिवादी श्री राजेन्द्र देडू से वार्ता कर सुबह 8 एएम पर 20 हजार रूपये रिश्वत राशि लेकर हाजिर चौकी आने की हिदायत कर स्टाफ को भी सुबह जल्दी आने के निर्देश दिये गये। वाणिज्यिक कर अधिकारी चूरू से जरिये दूरभाष वार्ता कर दो सरकारी कर्मचारी दिनांक 12.09.22 को सुबह 8.00 एएम पर चौकी पर उपस्थित होने के लिए पाबंद कराये गयें।

दिनांक 12.09.2022 को वक्त 8.00 एएम पर समय परिवादी श्री राजेन्द्र देडू हाजिर चौकी आया व बताया कि रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20,000रू. साथ लाया हूँ। वाणिज्यिक कर विभाग चूरू से दो सरकारी कर्मचारी श्री विक्रम सिंह वरिष्ठ सहायक व निखिल कुमार कनिष्ठ सहायक पाबंदशुदा हाजिर चोकी आये। आमदा दोनो स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने बाबत पूछा तो दोनो गवाहान ने अपनी सहमति व्यक्त की। इस पर दोनो गवाहों को परिवादी राजेन्द्र देडू से आपस में परिचय कराया गया तथा परिवादी की रिपोर्ट व सत्यापन वार्ता के तथ्यों से दोनो गवाहों को अवगत कराया गया, जिसे परिवादी ने सही होना बताया।

वक्त 8.40 एएम पर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री राजेन्द्र देहडू ने मन् उप पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रिश्वत में दिये जाने वाले बीस हजार पांच सौ रूपये भारतीय मुद्रा के पेश किये जिनके नम्बर का विवरण फर्द में अंकित कर सभी नोटो को अखबार पर रखवाकर श्री श्रवण सिंह स0प्र0अ0 से फिनोफ्थ्लीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री राजेन्द्र देडू की जामा तलाशी गवाह श्री निखिल कुमार से लिवायी गई तो कोई आपतिजनक सामान नहीं पाया गया। उपरोक्त रिश्वती राशि को परिवादी राजेन्द्र देडू के पहने कुर्ते की दाहिनी जेब में श्री श्रवण सिंह से रखवाई गई। परिवादी राजेन्द्र देडू को हिदायत की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग करने पर उक्त पाउडर युक्त नोट उसे देवे। रिश्वत की राशि लेकर आरोपी कहां रखता है उसका ध्यान रखे व अपने कार्य के सम्बधं में वार्ता करें। रिश्वत राशि लेन देन के पश्चात अपने मोबाईल से मन उप पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल करे तथा यदि सम्भव हो तो अपनें सिर पर हाथ फेर कर रिश्वत स्वीकृति का ईशारा करें। दोनो गवाहान को निर्देश दिये कि यथा सम्भव परिवादी के आस–पास रहकर रिश्वत के लेन–देन व इस बीच होने वाली वार्ता को क्रमशः देखने व सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात एक साफ कांच के गिलास में

साफ पानी भरवाया जाकर सोडीयम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल बनाया गया तो पानी रंगहीन रहा। इस रंगहीन घोल में श्री श्रवण सिंह स0प्र0अ0 के हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व गवाहान को फिनोल्फथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया का दृष्टांत देकर महत्व समझाया गया। गिलास के मिश्रण को बाहर फिंकवाया गया व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर फिनोल्फथलीन पाऊडर लगाया है, को जलाकर नष्ट किया गया। गिलास तथा श्री श्रवण सिंह के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये। फिनोफ्थ्लीन पाउडर की शीशी सुरक्षित रखवाई गई। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों/गवाहों के हाथ साबुन पानी से धुलवाये जाकर हिदायत मुनासिब की गई। परिवादी राजेन्द्र देडू को रिश्वत लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करनें के लिए कार्यालय का वॉईस रिकार्डर सूपूर्द किया गया। रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के लिए परिवादी को उसका मोबाईल सूपुर्द किया गया।

वक्त 9.30 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी राजेन्द्र देडू, दोनो गवाह श्री विक्रम सिंह, निखिल कुमार तथा चूरू चौकी का जाप्ता सर्वश्री गिरधारी सिंह स.उ.नि., ओम प्रकाश, श्रवण कुमार, राकेश कुमार, दीपेश कुमार, राजपाल सिंह, राजकुमार, बसंन्त सिंह कानिगण एवं प्रमोद पूनियां क0स0 के ट्रेप बॉक्स, लैप टॉप, प्रिन्टर ईत्यादि हमराह लेकर जरिये परिवादी के वाहन एवं एक अन्य प्राईवेट वाहन से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही चूरू से रवाना सरदारशहर के लिए हुआ। श्री श्रवण सिंह स.प्र.अ.को बाद आवश्यक हिदायत चौकी पर छोडा गया।

वक्त 10.30 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी राजेन्द्र देडू, दोनो गवाहों व चौकी के जाप्ते सहित जरिये वाहनों के सरदारशहर में रतनगढ रोड तिराहे पर पहुचा। परिवादी राजेन्द्र देडू व ओम प्रकाश, दीपेश कुमार, राजकुमार, श्रवण कुमार कानिगण को परिवादी की गाडी से सहायक अभियन्ता जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड ग्रामीण कार्यालय के लिए आवश्यक निर्देश देकर रवाना किया गया तथा मन् उप अधीक्षक, दोनो गवाहान, श्री गिरधारी सिंह सउनि, राजपाल सिंह, राकेश कुमार, बसंत सिंह व प्रमोद पूनियां क.स. के मय वाहन के पंचायत समिति सरदारशहर के पास मुख्य हाई–वे पर परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम हुआ।

वक्त 12.53 पीएम पर परिवादी राजेन्द्र देहडू ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को रिश्वत स्वीकृति का निर्धारित ईशारा अपने मोबाईल से करने पर मैं उप अधीक्षक पुलिस दोनों गवाहान मय ट्रेप दल के सहायक अभियन्ता, ग्रामीण, जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड सरदारशहर कार्यालय के आगे चैनल गेट के पास खडे परिवादी के पास पहुंचा। परिवादी राजेन्द्र देडू ने सामने बरामदे से धुले हाथ झटकते हुऐ आते एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यहीं एईएन मनोज जी है जिन्होने अभी–अभी अपने कमरे में मेरे से 20,000रूपये रिश्वत के लेकर बिना गिने ही सामने टेबल पर रखी फाईलो के नीचे रख दिये व बाहर टॉयलेट की तरफ जाने लगे तो मै खडा होकर इनके पीछे जाकर बाहर खडा हो गया तथा आपको मिस कॉल कर ईशारा किया। इस पर परिवादी राजेन्द्र से रिश्वत लेन–देन के समय हुई वार्ता का टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर परिवादी द्वारा बताये गये इस व्यक्ति को मन् उप पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर इसका परिचय पूछा तो यह व्यक्ति एकदम से घबरा गया व अपना नाम मनोज कुमार कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यवाहक सहायक अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड ग्रामीण सरदारशहर होना बताया। मनोज कुमार को परिवादी राजेन्द्र देडू से 20,000रूपये रिश्वत लेने बाबत पूछा तो मनोज कुमार सहायक अभियन्ता कुछ नही बोला व इधर–उधर देखने लगा, पुनः तसल्ली से पुछा तो मनोज कुमार ने बताया मैने राजेन्द्र देडू से कोई रिश्वत राशि नही ली हैं। इस पर हाजिर परिवादी राजेन्द्र देडू ने स्वतः बताया कि मनोज कुमार एईएन झूठ बोल रहे है। आज मै इनके पास कार्यालय में आया तो मैने एईएन साहब को मेरी वीसीआर के पैसे कम करने के बारे में पुछा तो एईएन साहब ने कहा कि एसई साहब कम कर सकते है। पूर्व की वार्तानुसार मेरे से इन्होने शेष रिश्वत राशि बाबत ईशारा किया तो मैने इनको 20,000रूपये अपनी जेब से निकाल कर दिये तो इन्होने अपने हाथ में लेकर अपने मेज पर रखी फायलो के नीचे रख दियें व मुझे कहा कि अरे यार धोखा मत कर देना, आप यहीं बैठ जाओ। यह कहते हुऐ एईएन साहब बाहर टॉयलेट की तरफ जाने लगे तो मै भी इनके पीछे–पीछे कमरे से बाहर खडा हो गया। आरोपी मनोज कुमार द्वारा रिश्वत लेकर अपने टेबल पर रखी फायलों के नीचे रखने के सम्बधं में गवाह विक्रम सिंह से फायलो को उठाकर देखा तो पांच सौ–पांच सौ रूपये के नोटो की थैई पडी हैं। आरोपी मनोज कुमार के द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने की पुष्टि होने पर मन् उप पुलिस

अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी मनोज कुमार का दायां व बांया हाथ क्रमशः राजकुमार व दीपेश कुमार कानिगण ने कलाईयों से पकड लिया। ट्रेप कार्यवाही के क्रम में साफ कांच के दो गिलासो में साफ पानी भरकर इनमें एक–एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो पानी रंगहीन रहा। एक गिलास के घोल में आरोपी श्री मनोज कुमार कार्यवाहक सहायक अभियन्ता के दाहीने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला गुदला हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशीयों में आधा–आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क R–1, R–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी मनोज कुमार कार्यवाहक सहायक अभियन्ता के बायें हाथ की अंगूलियों को ही डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला गुदला हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशीयों में आधा–आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क L–1, L–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। मन् उप पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गवाह विक्रम सिंह ने सहायक अभियन्ता की टेबल पर रिश्वती राशि के उपर रखी फायलो को उठाया तो एक कागज व टेबल ग्लास के बीच रखी रिश्वती राशि उठाकर गिनी तो 20,000रूपये पाये गयें। उक्त बरामद रिश्वती राशि के नोटो के नम्बर पूर्व में बनी फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान दोनो गवाहो से करवाया गया तो नोटो के नम्बर वहीं पाये गये। आरोपी से बरामद रिश्वती राशि के नोटो का विवरण इस प्रकार है :–

1	एक नोट पांच सौ रूपये का नोट नम्बर	2CT 430222
2	————;;————	9MD 774436
3	————;;————	2BT 745058
4	————;;————	9MD 541164
5	————;;————	1FF 415261
6	————;;————	6CV 509732
7	————;;————	5FQ 139745
8	————;;————	6EM 060079
9	————;;————	6AT 743995
10	————;;————	4CC 359997
11	————;;————	1LS 506123
12	————;;————	3EF 525660
13	————;;————	1WD 712108
14	————;;————	9KK 315750
15	————;;————	6UU 130615
16	————;;————	3LH 251578
17	————;;————	7LU 958607
18	————;;————	8QL 497506
19	————;;————	2VS 051433
20	————;;————	2BQ 430496
21	————;;————	4EM 967128
22	————;;————	1ML 508041
23	————;;————	1BS 439899
24	————;;————	7GD 253787
25	————;;————	6VP 955156
26	————;;————	4PK 446137
27	————;;————	6FU 904750
28	————;;————	6BE 500746
29	————;;————	3QP 074111
30	————;;————	5CA 131913
31	————;;————	5MP 088718
32	————;;————	4GP 247692

33	————;;————	7VW 574545
34	————;;————	8CR 473382
35	————;;————	8EL 124347
36	————;;————	5DA 206775
37	————;;————	8KN 218118
38	————;;————	7DQ 448435
39	————;;————	6UP 110960
40	————;;————	3MP 397518

उपरोक्त 20,000 रूपयों के नोटो को खुले कपडे में सील्ड कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि को वास्ते वजह सबूत जप्त किया गया। आरोपी मनोज कुमार कार्यवाहक सहायक अभियन्ता की टेबल पर एक कागज व ग्लास के बीच जहां रिश्वती राशि रखी है, ग्लास व कागज के उस स्थान को सोडियम कार्बोनेट पाउडर युक्त घोल में छोटे कपडे के टुकडे को डूबोकर उस स्थान को दो–तीन बार पौंछ कर वापिस गिलास में निचोडा गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को दो साफ शिशियों में आधा–आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क T–1, T–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। रिश्वती राशि राशि के उपर रखा कागज जिस पर Standard Issue rate w.e.f, 01.04.2022 एवं कम संख्या 01 से 52 तक कम्प्युटर से लिखा है। इस कागज को सुखाकर इस पर पैन से गोल मार्क कर इस पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर कर कब्जे में लिया गया। रिश्वती राशि बरामदगी स्थान के धोवन में प्रयुक्त कपडे के टुकडे को सुखाकर उस पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उक्त कपडे व कागज को एक लिफाफे में सील्ड कर वास्ते वजह सबूत जप्त किया गया। परिवादी राजेन्द्र देडू के कार्य बाबत पूछने पर श्री मनोज कुमार कार्यवाहक सहायक अभियन्ता ने बताया कि दिनांक 24.08.2022 को दोपहर में श्री आर.के. मीणा अधि0 अभि0 जोधपुर डिस्कॉम खण्ड सरदारशहर मुझे अपने साथ लेकर गांव उदासर गये थें। गांव के बस स्टैण्ड पर स्थित चौधरी इन्टरप्राईजेज नामक दुकान पर मैने व एक्सईएन साहब ने विद्युत चैकिग की थी जिस पर दुकान मालिक द्वारा विद्युत पोल से सीधा तार लेकर विद्युत चोरी की जा रही थी इस पर एक्सईएन साहब श्री आर. के. मीणा जी ने अपनी वीसीआर बुक मुझे दी व उनके बोले अनुसार मैने मौका पर वीसीआर मेरे हाथ से भरी थी। मौके पर मैने उपभैक्ता राजेन्द्र से वीसीआर नही भरने, भविष्य में ध्यान रखने की कह कर कोई रिश्वत राशि स्वयं के लिए अथवा श्री आर.के. मीणा एक्सईएन के लिए नही मांगी थी तथा ना ही कोई राशि प्राप्त की थी। दिनांक 26.08.22 को राजेन्द्र मेरे से कार्यालय में मिला था उस दिन भी मैने राजेन्द्र से किसी प्रकार की रिश्वत राशि की मांग नही की व ना ही 20,000 रूपये खर्चे के रूप में प्राप्त किये थे। उस दिन वीसीआर भरकर एक्सईएन साहब व मैने हस्ताक्षर किये थे वीसीआर बुक एक्सईएन साहब के पास मिल सकती हैं। आरोपी सहायक अभियन्ता ने बताया कि मैने मेरी वीसीआर बुक में राजेन्द्र देडू की दुकान पर विद्युत कनेक्शन सम्बधी कोई वीसीआर नही भरी हैं। आरोपी सहायक अभियन्ता की वीसीआर बुक संख्या 12023 का अवलोकन किया गया तो कम संख्या 01 दिनांक 23.06.2022 से शुरू होकर कम संख्या 12 दिनांक 25.08.2022 तक भरी हुई है। कम संख्या 12 की मूल की पुश्त पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उक्त वीसीआर बुक वापिस श्री मनोज कुमार कार्यवाहक सहायक अभियन्ता को सुपुर्द की गई।

आरोपी मनोज कुमार कार्यवाहक सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 24.08.2022 को परिवादी राजेन्द्र देडू की दुकान पर चैकिग कर वीसीआर भरने के सम्बधं में बताने पर खण्ड कार्यालय से अधि0 अभियन्ता को बुलाया गया। अधि0 अभियन्ता ने पुछने पर अपना नाम रामकिशन मीणा (आर.के. मीणा) एक्सईएन जोधपुर डिस्कॉम खण्ड सरदारशहर बताया। परिवादी राजेन्द्र देडू की उदासर स्थित दुकान पर विद्युत चैकिग के सम्बधं में पूछने पर श्री रामकिशन मीणा अधि0 अभि0 ने बताया कि डिस्कॉम के कॉल सेन्टर जोधपुर से उदासर के राजेन्द्र कुमार द्वारा विद्युत चोरी करने की शिकायत जरिये फोन प्राप्त हुई थी। इस पर दिनांक 24.08.2022 को मै मनोज कार्यवाहक स0 अभि0 ग्रामीण को साथ लेकर उदासर जाकर राजेन्द्र की दुकान पर चैकिग की थी। चैकिग में उपभौक्ता द्वारा पोल से सीधे तार लेकर दुकान में विद्युत का उपभोग करता पाया गया। उपभौक्ता द्वारा उपरोक्त विद्युत चोरी करने पर मैने अपनी वीसीआर पुस्तक संख्या 11044/19 पर मनोज कुमार सहा. अभि. से दो किलो वाट विद्युत चोरी की भरवाई थी। पोल पर डाले गये तार की मेरे द्वारा अपने मोबाईल से फोटो लिये गये थें। आज

दिनांक बिजली चोरी में मोबाईल से लिये गये फोटो ग्राफ के प्रिन्ट(फोटो) नही बनवाये हैं। मेरे व एईएन के हस्ताक्षर से उपभौक्ता राजेन्द्र कुमार को पत्रांक 1534 दिनांक 29.08.2022 को 1,28,851रू. जमा करवाने का नोटिस जारी किया गया हैं। उपभौक्ता द्वारा अभी तक राशि जमा नही करवाई गई हैं। दिनांक 24.08.22 को उदासर में चैकिग के दौरान मैने राजेन्द्र देडू से विद्युत चौरी करने बाबत ना तो कोई रिश्वत की मांग की व ना ही मौके पर प्राप्त की तथा ना ही मौके पर मैने राजेन्द्र से मेरे नाम से मनोज कुमार को एक लाख रूपये दिलवाये थे। दिनांक 29.08.22, 02.09.22, 07.09.22 व दिनांक 09.09.2022 को राजेन्द्र मेरे से मिला था व मुझे दो लाख रूपये एईएन को देने की कही तथा कहा कि साहब दो तो मेरे लग गये और 1.28 लाख की सीट भर दी इस तरह मेरे तो 3.28 लाख हो जायेगें। इस पर मैने राजेन्द्र को यह कहा कि मै पता करता हूँ तुने मनोज को क्यो दिये। मैने मनोज कुमार से पुछा तो उसने मुझे राजेन्द्र से दो लाख रूपये लेने बाबत मना कर दिया व कहा कि राजेन्द्र आपको (मुझे) एक लाख रूपये देने की मुझे कह रहा हैं। दिनांक 09.09.22 को राजेन्द्र मेरे पास आया व मुझे कहा कि साहब आप तो आगे ध्यान रखना, एईएन साहब ने भी मुझे कहा था एक्सईएन साहब को दो लाख के बारे में क्यो बता दिया। इस पर मैने कहा कि फालतु बात करने की जरूरत नही है आप नोटिस के पैसे जमा करवावों, इसके बाद राजेन्द्र चला गया। राजेन्द्र से मैने आज तक ना तो कोई पैसो की मांग की और ना ही लिये है तथा ना ही मनोज कुमार को दिलवाये हैं। वीसीआर भरने के बाद में वीसीआर की राशि ऑनलाईन जमा की जाती है, नगद राशि निगम के द्वारा नही ली जाती हैं। इस पर हाजिर परिवादी राजेन्द्र देडू ने पूछने पर बताया कि एक्सईएन साहब झूठ बोल रहे है दिनांक 24.08.22 को जब मेरी दुकान पर चैकिग करने के लिए गये थे तब वीसीआर नही भरने के नाम पर वहां मौके पर एक लाख मैने मेरी दुकान से एक्सईएन साहब श्री आर. के मीणा जी को दिये जिन्होने एईएन साहब को बुलाकर एईएन साहब मनोज को दे दिये। उसके बाद एईएन श्री मनोज मीणा ने उसी समय एक लाख रूपये और मेरे से वीसीआर नही भरने के नाम पर ले लिये थे। बाद में मुझे एईएन श्री मनोज कुमार ने मेरे को बताया कि आपकी 1.28 लाख की वीसीआर भर दी तो मैने एईएन साहब को इस बारे में बताया तो एईएन साहब मनोज ने मेरे को कहा कि उस समय एक ही तो दिये थे तो मैने कहा कि एक आपको दिये थे तथा एक एक्सईएन साहब को उसी समय दे दिये थे। तब एईएन साहब ने कहा कि यह तो एक्सईएन साहब ने आपके साथ गलत किया है आपसे पहले भी रूपये ले लिये और 1.28 लाख की वीसीआर और भर दी। एईएन साहब ने कहा कि आप एक्सईएन साहब से मिलो और उनको कहा कि एक लाख आप(एक्सईएन) भरे और उपर के 28 हजार आप भर देना। तब मै एक्सईएन साहब से मिला और दो लाख रूपये पूर्व में दे देने तथा 1.28 लाख की वीसीआर भरने के बारे में बात की तो एक्सईएन श्री मीणा जी ने कहा आपके दो लाख रूपये आ गये मै एईएन श्री मनोज से बात करता हूँ आप एक बार नोटिस के पैसे जमा मत करवाना। परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार के नाम से की गई विद्युत चैकिग की वीसीआर पुस्तक संख्या 11044/19 की तथा परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार के नाम जारी किये गये नोटिस क्रमांक 1534 दिनांक 29.08.22 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती नोट अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील का नमूना सील जरिये फर्द अलग से लिया जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। घटना स्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका अलग से जरिये फर्द तैयार किया गया। आरोपी श्री मनोज कुमार को बाद आगाहा तमाम वाक्यात हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफतार किया गया। परिवादी राजेन्द्र देडू व आरोपी मनोज कुमार के मध्य रिश्वत लेन–देन के समय हुई वार्ता को जरिये लैपटॉप सुन–सुन कर फर्द ट्रास्क्रिप्ट अलग से तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील को गवाहान के समक्ष नष्ट किया गया। मौके पर ट्रेप कार्यवाही सम्पन्न कर उप अधीक्षक पुलिस, दोनो गवाहान, परिवादी व जाप्ता तथा गिरफतार आरोपी श्री मनोज कुमार व ट्रेप कार्यवाही में जप्त सम्बंधित वजह सबूत हमराह लेकर जरिये वाहन के सरदारशहर से रवाना होकर चौकी चूरू पंहुचे। ट्रेप में जप्त वजह सबूत आरोपी से बरामद बीस हजार रूपये रिश्वती राशि सील्ड, धोवन की छः सील्ड शिशियां, रिश्वत लेन–देन वार्ता की सील्ड व खुली डीवीडी तथा एक सील्ड लिफाफा दुरस्त सउनि श्री गिरधारी सिंह को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। उक्त ट्रेप में समय–समय पर की गई कार्यवाही का पृथक से एक रनिंग नोट तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया।

अब तक की उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही के समस्त तथ्यों से पाया गया कि परिवादी परिवादी श्री राजेन्द्र देडू पुत्र श्री दयाराम जाति जाट निवासी उदासर तह0 सरदारशहर जिला चूरू के उदासर बस स्टैण्ड स्थित उसकी दुकान चोधरी इन्टरप्राईजेज का श्री रामकिशन मीणा अधिशाषी अभियन्ता जोधपुर डिस्कॉम खण्ड सरदारशहर के साथ आरोपी श्री मनोज कुमार कार्यवाहक एईएन उपखण्ड ग्रामीण सरदारशहर द्वारा दिनांक 24.08.2022 को निरीक्षण कर परिवादी द्वारा विद्युत चौरी करने की कहकर अधिक वॉट का उपभोग होना बताकर मनोज कुमार द्वारा परिवादी से मौके पर दो लाख रूपये प्राप्त करना व वीसीआर कम राशि की भर कर भविष्य में ध्यान रखने के लिए अपने पद का दुरूपयोग करते हुऐ अपने वैद्य प्रारिश्रमिक से भिन्न 50,000रूपये मांग कर दिनांक 26.08.2022 को सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा 40,000 रूपये रिश्वत के लेने के लिये सहमत होकर 20,000रूपये प्राप्त करना तथा मांग के अनुसरण में दिनांक 12.09.22 को अपने कार्यालय में शेष 20,000 रूपये रिश्वत के परिवादी से प्राप्त किये। जिस पर आरोपी को रंगे हाथों पकडा गया। आरोपी श्री मनोज कुमार कार्यवाहक सहायक अभियन्ता का उक्त कृत्य धारा 7 भ्र0नि0 (संशोधन 2018) अधिनियम में प्रथम दृष्ट्या अपराध घटित होना पाया जाता है। इस सम्पूर्ण धटना क्रम में श्री रामकिशन मीणा अधि0 अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम खण्ड सरदारशहर की भूमिका भी फर्द ट्रास्क्रिप्ट वार्ताओं से एवं ट्रेप कार्यवाही के दौरान पूछताछ से संदिग्ध पायी गई हैं जिसे अभियोग पंजीबंद्ध के पश्चात दौराने अनुसंधान स्पष्ट किया जायेगा।

अतः श्री मनोज कुमार कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यवाहक सहा. अभि. उपखण्ड ग्रामीण सरदारशहर जिला चूरू एवं अन्य के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धारा में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित की जा रही है।

(शब्बीर खान)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्र0नि0 ब्यूरो चूरू

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म, अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री राम अवतार, कनिष्ठ अभियंता, अतिरिक्त चार्ज सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड ग्रामीण सरदारशहर, जिला चूरू एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध सख्या 360/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

13.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 3130-34 दिनांक 13.9.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. सम्भागीय मुख्य अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. बीकानेर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू।

13.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।